उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष नं0– 0135–2662021, फैक्स नं0– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.uk.gov.in

पत्रांक / उ0सू0आ0 / 2024–25 दिनांक 2024

सेवा में,

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निजी शैक्षिक संस्थाओं की सूचना मांगे जाने के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 3060 / उ0सू0आ0 / 2022–23 दिनांक 20.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 480 / पी0एस0 / सचि0वि0शि0 / 2019 दिनांक 10.06.2019 में यथोचित संशोधन किये जाने की अपेक्षा की गयी थी जिसमें विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि ऐसे निजी विद्यालय, जो सरकार से किसी प्रकार का अनुरक्षण नहीं लेते हैं तथा स्ववित्तपोषित व सोसाइटी के द्वारा संचालित हैं, से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सूचनाएं न मांगी जाए। उक्त कार्यालय ज्ञाप मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या 2038 / 2009 (एम0एस0) एशियन एजूकेशन चेरिटेबल सोसाइटी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.02.2010 के कम में जारी किये गये हैं।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 3060 / उ0सू0आ0 / 2022–23 दिनांक 20.06.2023 के द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या 2038 / 2009 (एम0एस0) एशियन एजूकेशन चेरिटेबल सोसाइटी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित अदेश दिनांक 09.02.2010 के संदर्भ में स्पष्ट किया गया कि ऐसे निजी विद्यालय, जो सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं लेते हैं तथा स्वःवित्तपोषित व सोसाइटी के द्वारा संचालित हैं, वे यद्यपि लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं किन्तु यदि किसी विधि के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं से संबंधित कोई सूचना लोकप्राधिकारी प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसी सूचनाओं को धारा 11 के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदान किये जाने विचार किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसी सूचनाओं की मांग किये जाने पर उन्हें सीधे मना किया जाना अधिनियम के प्राविधान के अनुरूप नहीं हैं।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 3060 / उ0सू0आ0 / 2022–23 दिनांक 20.06.2023 के द्वारा उपरोक्त संदर्भ में विधिक परामर्श प्राप्त कर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.06.2019 में यथोचित संशोधन पर विचार किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। आयोग के पत्र दिनांक 02.06.2023 के कम में विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 207961 / XXIV-4/2024-10(1)2024 दिनांक 03.05.2024 तथा माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 358 / XXIV-

(3)/2023-57787 दिनांक 01.09.2023 के द्वारा जो निर्देश जारी किये गये वे आपस में विरोधाभासी है।

उपरोक्त संदर्भ में मा0 आयोग के द्वारा आपसे यह अनुरोध करने के निर्देश दिए हैं कि माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 358 / XXIV-(3)/2023-57787 दिनांक 01.09.2023 के द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार निजी विद्यालय से संबंधित सूचना मांगे जाने पर कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव

पत्रांक 7174 / उ0सू0अ0 / 2024–25 दिनांक 25-11- 2024

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3
संख्या 9[illegible] /XXIV(3)/2023-51(7)
देहरादून: दिनांक 01 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 3060/उ0सू0आ0/2022-23 दिनांक 20.06.2023 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निजी शैक्षिक संस्थाओं की सूचना मांगे जाने पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0 2038/2009 (एम0एस0) एशियन एजुकेशन चैरिटेबिल सोसायटी व अन्य में अपने आदेश दिनांकित 09.02.2010 जिसके अनुसार यह सिद्धांत अवधारित किया कि यद्यपि उक्त संस्थायें लोक प्राधिकारी की परिभाषा में नहीं आती हैं, किंतु यदि उनके द्वारा किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपनी संस्था से संबंधित कोई सूचना किसी विभाग को प्रदान की जाती है तो ऐसी सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों का पालन करते हुये प्रदान किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 480/पी0एस0/सचि0वि0शि0/2019 दिनांक 10 जून, 2019 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड का रिट याचिका सं0 2038/2009 (एम0एस0) एशियन एजुकेशन चैरिटेबिल सोसायटी व अन्य में अपने आदेश दिनांकित 09.02.2010 में निम्न निर्णय दिया है:—

"It must also be stated here that in case the petitioners or such similarly situated institutes, are otherwise bound to furnish any information under any law, which is in force in the State of Uttarakhand, then they must do so. In fact, this aspect has also been dealt with by the State Information Commission in its order dated 3.11.2009, where apart from holding these institutes such as the petitioners not a "public authority", they must furnish this information if they are legally bound to furnish such information, under any other law presently in force. It is also necessary to state at this juncture that institutes such as the petitioners have been established to provide education in the State of Uttarakhand. They are as such performing a public function. Therefore, in case public interest demands that certain information be furnished by these schools to the public authorities, such information, subject to the limitation prescribed in the Act itself, and as stated above, must be furnished."

3— मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्रांक: 3060/उ0सू0आ0/2022—23 दिनांक 20.06.2023 के क्रम में न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त परामर्शानुसार कार्यालय ज्ञाप सं0—480/पी0एस0/ सचि0वि0शि0/2019 दिनांक 10.06.2019 को अतिक्रमित करते हुये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निजी शैक्षिक संस्थानों से सूचना मांगे जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान प्रतिपादित किया जाता है:—

"मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 09.02.2016 के अनुपालन में सुनिश्चित किया जाय कि, निजी विद्यालयों को सूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

परन्तु यदि निजी विद्यालयों द्वारा राज्य में प्रचलित किसी अन्य विधि/नीति व्यवस्था के अन्तर्गत कोई सूचना (जैसे यू0पी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0, उत्तराखण्ड बोर्ड, शिक्षा नीति आदि से सम्बन्धित अभिलेख) सरकारी प्राधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी है, एवं उक्त अभिलेख/सूचना सरकारी प्राधिकारी के संज्ञान में है, तब सम्बन्धित सरकारी प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-11 में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये सम्बन्धित सूचनाओं को प्रकट कर सकता है अथवा प्रकट किये जाने हेतु सम्बन्धित विद्यालय के विद्यालय प्रबन्धन को निर्देशित कर सकता है।

4— कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

Signed by Raman Ravinath
Date: 30-08-2023 18:19:36

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या— /XXIV(3)/2023—57787 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अनुसचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड, शासन।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/एन0सी0सी0/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विद्यालय प्रबन्धन, निजी विद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
Signed by Anil Kumar Pandey
Date: 01-09-2023 16:02:35
(अनिल कुमार पाण्डे)
उपसचिव।

07961/2024

उत्तराखण्ड शासन,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
संख्या– 207961/XXIV–4/2024–10(01)2024
देहरादून : दिनांक : 03 अप्रैल, 2024

13 MAY 2024
देहरादून

कार्यालय–ज्ञाप

उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, के पत्रांक 3060/उ0सू0आ0/2022–23 दिनांक 20.06.2023, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 2038/2009(एम0एस0)एशियन एजुकेशन चैरिटेबिल सोसायटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.02.2010 का उल्लेख करते हुये सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों, जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा गठित बोर्ड के अन्तर्गत हैं, की सूचनाओं को विद्यालयी शिक्षा विभाग के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 480/पी0एस0/सचि0/वि0शि0/2019 दिनांक 10.06.2019 में संशोधन किये जाने पर पुर्नविचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के कम में सूच्य है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 2038/2009(एम0एस0) एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.02.2010 का कियात्मक अंश निम्न प्रकार है:–

Under the aforesaid definition, "right to information" means an information which is accessible under this Act, and "which is held" by or under the control of any public authority. Since such an information is not already "held by" a public authority, the public authority cannot compel the private individual such as the petitioner to furnish such an information under the Act.

अतः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या 2038/2009(एम0एस0) में पारित आदेश दिनांक 09.02.2010 के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त् यह निर्णय लिया गया है, कि ऐसे निजी विद्यालय, जो सरकार से किसी प्रकार से अनुरक्षण नहीं लेते हैं तथा स्ववित्तपोषित व सोसाइटी के द्वारा संचालित है ,के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध न कराये जाने हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या 480/पी0एस0/सचि0/वि0शि0/2019 दिनांक 10.06.2019 में संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

Signed by Raman Ravinath
Date: 30-04-2024 17:25:50
(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या: 207961/XXIV–4/24–10(01)/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को मा0 राज्य सूचना आयुक्त के अवलोकनार्थ।
2. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, देहरादून।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

Signed by Shiv Vibhooti Ranjan
Date: 02-05-2024 18:30:51
(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव